न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
190/10	15.11.2010	11.01.2019

1 गंगाराम
2 गोरधन पुत्रान नत्थु जातियान अहीर निवासीयान सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.
वादीगण

बनाम

1 शेरसिंह पुत्र प्रभू –मृतक
1/1 गिन्दोडी देवी बेवा शेरसिंह
1/2 पन्नालाल पुत्र शेरसिंह
1/3 विरेन्द्र सिंह पुत्र शेरसिंह जातियान अहीर निवासीयान सिहाली खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज.
1/4 राधादेवी
1/5 लीलम देवी पुत्रीयान शेरसिंह जातियान अहीर निवासीयान सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर हाल माजरा तह0 तिजारा जिला अलवर राज.
1/6 सुनीता बेवा नवलसिंह पुत्रवधु शेरसिंह जातियान अहीर निवासीयान सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.
1/7 मुकेश पुत्र नवलसिंह पौत्र शेरसिंह जातियान अहीर निवासीयान सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.
1/8 संदीप कुमार पुत्र नवलसिंह पौत्र शेरसिंह जातियान अहीर निवासीयान सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.
2 विक्रम पुत्र रामजीलाल
3 निहालसिंह
4 शीशराम पुत्रान बलबीर
5 नरेश कुमार
6 सुरेश कुमार
7 बिल्लुराम पुत्रान हीरालाल
8 रोहताश पुत्र बोदन
9 इन्द्रप्रताप
10 सत्येन्द्र पुत्रान करतार
11 ज्योति
12 अमृता
13 पूनम पुत्रीयान करतार

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

14 चमेली बेवा करतार
15 दयानन्द
16 वीरसिंह
17 जसरथ पुत्रान जित्या
18 शेरसिंह
19 सुबेसिंह पुत्रान झूंथाराम
20 जयनारायण
21 प्यारेलाल
22 गौरीसहाय पुत्रान मूलीया उर्फ मूला
23 घासीराम पुत्रान श्योदान
24 बाबूलाल
25 राजबीर
26 करणसिंह
27 रामपाल पुत्रान प्रसादा
28 शीशाराम
29 भीमसिंह पुत्रान धनीराम
30 अमीलाल पुत्र जहारिया
31 शिवराम पुत्र गणपत
32 सांवल
33 राधेश्याम
34 विकम
35 बलवन्त
36 सुबेसिंह
37 किशनलाल
38 सत्यवान पुत्रान भोलू उर्फ धोला
39 रामनिवास पुत्र सुलतान
40 बलराज
41 नरेश पुत्रान धर्मपाल
42 लालाराम पुत्र मूला उर्फ मूलिया
43 रणधीर पुत्र हरिसिंह
44 पारथ
45 बाबूलाल
46 श्यामलाल
47 सुरेन्द्र
48 धनश्याम पुत्रान सांवल
49 अभयसिंह पुत्र श्योदान
50 दौला पुत्र सोनिया
51 हरचन्द
52 राजेन्द्र
53 लीलूराम पुत्रान भौरिया जातियान अहीर निवासीयान सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

54 पवित्रा पत्नी बाबूलाल
55 सविता पत्नी ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.
56 देवकरण पुत्र भोलाराम जाति चमार निवासी सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.
57 संतोष पत्नी भीमराज जाति जांगिड निवासी ब्रह्मपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज.
58 बहादुर पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी सिहालीखुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.
59 कृष्णा देवी पत्नी बाबूलाल
60 विक्रमसिंह पुत्र सांवलराम उर्फ सांवतराम जातियान अहीर निवासीयान सिहालीखुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.
61 राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर राज.
62 प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा अजरका तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.
63 प्रबन्धक स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मुण्डावर जिला अलवर राज.

प्रतिवादीगण

दावा —ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती
इन्द्राज वो हु0 ई0 दवामी

उपस्थिति—1 श्री सतीश कुमार यादव प्रथम वकील— वादीगण

निर्णय

दिनांक 11.01.2019

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। दौराने सुनवाई वकील वादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 1 नियम 10 जा0 दी0 प्रस्तुत किये जाने पर बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कि गयी। मुताबिक प्रार्थनापत्र प्रकरण मे तकासमा के बाबत का अनुतोष डिलीट किये जाने एवं मुताबिक रिकार्ड शेष रहे व्यक्तियों को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने आदि का निवेदन रहा है। इस प्रकार वादीगण के वादपत्र का सारतः रहा की हाल खसरा नं0 1305/49/0.80, 57/0.69, 129/0.12, 476/0.24, 577/0.13, 822/0.22, 997/1.35, 1084/0.78, 1189/0.65 है0 वाके ग्राम सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 मे स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। हाल खसरा नं0 129 साबिक ख0 नं0 76 से, 476 साबिक ख0 नं0 299 से, 577 साबिक ख0 नं0 382 व 384 से, 822 साबिक ख0 नं0 460 व 462 से, 977 साबिक ख0 नं0 619 से, 1084 साबिक ख0 नं0 711 से, 1189 साबिक ख0 नं0 579 से, 57 साबिक ख0 नं0 41 से पैमूद हुए

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

है। मिलान क्षेत्रफल संवत् 2029 संलग्न है। ख0 नं0 57 मे वादीगण का 1/4 भाग व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 का 3/4 भाग साबिक जमाबन्दी संवत् 2013 मे दर्ज है व इसी कदर मौके पर बहैसियत खातेदारी काबिज रहते आये है परन्तु पक्षकारान के मध्य सहमति से आपसी तकासमा कुछ आराजीयात का हुआ था जिसमे ख0 नं0 49, 113, 114, 250, 252, 429, 433, 439, 467, 480, 481, 605, 669, 670, 671, 959, 960, 1022, 1023, 1074, 1075, 1230, 123 को शामिल किया गया था किन्तु सहवन से प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के हिस्से मे ख0 नं0 51 रकवा 0.79 हैक्0 दर्ज हो गया जबकि उक्त ख0 नं0 ना तो उक्त खाते मे दर्ज था और ना ही उक्त तकासमे मे शामिल किया गया था परन्तु गलत तरीके से भूलवश ख0 नं0 57 सालिम प्रतिवादी के खाते मे दर्ज हो गया एवं इसी कदर ख0 नं0 49 रकबा 1.60 हैक्0 मे से वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगा0 7 को 0.80 हैक्0 दिया गया जिसके 1304/49 एवं 1305/49 नये ख0 नं0 बनाये गये। 1304/49 प्रतिवादी के हिस्से मे व 1305/49 वादीगण के हिस्से मे आया था। जिसका इंतकाल सं0 424 दिनांक 30.03.2005 को स्वीकार किया गया परन्तु बाद मे अमल करते समय 1305/49 रकबा 0.80 हैक्0 जो तन्हा वादीगण के खाते मे दर्ज होना चाहिए था परन्तु प्रतिवादीगण के खाते मे दर्ज कर दिया इसप्रकार प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के खाते मे उपरोक्त दोनो ख0 नं0 दर्ज हो गये जो कानूनी व खिलाफ मौका है। मौके पर वादीगण खातेदार की हैसियत से आज तक भी काबिज है जो हर सूरत मे काबिल दूरूस्ती है। दूरूस्त किया जाकर ख0 नं0 1305/49 रकबा 0.80 हैक्0 का सालिम भाग का एवं ख0 नं0 57 मे से वादीगण को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। हाल ख0 नं0 129/0.12, 476/0.24, 577/0.13, 822/0.22, 977/1.35 हैक्0 का प्रतिवादी सं0 3 व 4 के नाम हिस्से से अधिक नाम का इन्द्राज हो रहा है इसलिए प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने ख0 नं0 977/1.35 हैक्0 मे उनके नाम दर्ज 1/4 हिस्से मे से 1/2 भाग का विक्रय यानी 17 एयर का विक्रय दिगर लोगों को कर दिया। दिगर व्यक्तियों से वादीगण कोई अनुतोष नही चाहते क्योकि विक्रय के बाद भी प्रतिवादी सं0 3 व 4 के नाम वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष तक रकबा दर्ज है। इसलिए प्रतिवादी सं0 3 व 4 का नाम ख0 नं0 977 मे से सालिम भाग मे से हजफ किए जाने के आदेश फरमाये तथा ख0 नं0 1084/0.78, 1189/0.65 हैक्0 वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 7 की खातेदारी पैतृक आराजी है जो उन्हे जरिये विरासत प्राप्त हुई है। सजरा पेश है। इसलिए आराजी मुतनाजा मे वादीगण का 1/2 भाग व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 का 1/2 भाग कब्जेकाश्त खातेदारी का रहा है इसी प्रकार मौके पर काबिज है। आराजी खानदानी हिन्दू सयुंक्त परिवार की मुश्तकी आराजी है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे तन्हा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के नाम का इंद्राज बेजा तौर पर गैरकानूनी तौर से किया गया है। उक्त खिलाफ मौका खिलाफ कानून के इंद्राजात से वादीगण के अधिकारो पर नाकाबिल पाबन्दी है। राजस्व रिकार्ड का हाल

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

दूरूस्त किया जावे एवं वादीगण को आराजी मुतनाजा के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है। वादीगण के पिता नत्थू साबिक रिकार्ड मे खातेदार व खुदकाश्त काबिज काश्तकार दर्ज है। बाद मे नाम राजस्व कर्मचारीयो ने हजफ बिना किसी कारण के बिला किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के रिकार्ड मे फेरबदल किया है। इसलिए रिकार्ड मे वादीगण के नाम का 1/2 भाग पर अंकन किया जाना न्यायसंगत है। आराजी मुतनाजा मे खातेदार के रूप मे इंद्राज मोहरली बेवा परसिया का हो रहा है। मोहरली लावल्द फौत हो चुकी है व हेता के नाम का भी इंद्राज हो रहा है जो फौत हो चुका है। जिसके वारिसान प्रतिवादी सं0 44 लगा0 48 है एवं जयराम उर्फ जगराम का नाम दर्ज है जो फौत हो चुका है। दावे मे उनके वारिसान को प्रतिवादी की जद मे पक्षकार बनाया गया है। दिनांक 20.08.2010 को मिनवादीगण आराजी मे काश्त कर रहे थे तो प्रतिवादीगण आये और काश्त कार्य मे मजाहमत पैदा की और एलानिया धमकी दी की रिकार्ड मे हमारे नाम है। जिसका हम बेचान करेगें। जिसपर नकले प्राप्त की और प्रतिवादीगण से रिकार्ड दूरूस्त कराने बाबत कहा तो आजकल करते रहे और दिनांक 25.10.2010 को साफ मना कर दिया बस यही बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दरमियाद पेश है का निवेदन करते हुए वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि आराजी हाल ख0 नं0 1305/49/0.80 सालिम एवं 57/0.69 मे से 1/4 भाग तथा 129/0.12, 476/0.24, 577/0.13, 822/0.22, 1084/0.78, 1189/0.65 हैक्0 मे से 1/2 भाग एवं ख0 नं0 977/1.35 मे से प्रतिवादी सं0 3 व 4 द्वारा किये गए विक्रय रकबा 17 एयर को छोड कर शेष मे से 1/2 भाग वाके ग्राम सिहालीखुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं उक्त ख0 नं0 977 पर से प्रतिवादी सं0 2 व 3 का नाम सालिम भाग से हजफ किया जावे एवं इसी प्रकार समस्त प्रतिवादीगण के नाम समस्त उक्त आराजी से वादीगण के हिस्से तक कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम का रिकार्ड मे इंद्राज किया जावे एवं प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जावे की वे आराजी मुतनाजा को कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल करे ना ही वादीगण के कुल काश्त कार्य मे मजाहमत ही पैदा करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद विधिवत् तलबी प्रतिवादी सं0 8 लगा0 55, 57, 58, 61, 63 अनुपस्थित रहने की स्थिति मे उनके विरूद् एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 व 59, 60 ने हाजिर अदालत आकर जरिये अधिवक्ता अपना इकबाल जवाब पेश किया। मुताबिक इकबाल जवाब दावा वादीगण के वादपत्र के समस्त जिम्मनो को स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे। हमे कोई उज्र नही होगा अंकित किया है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद मे मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र गंगाराम पी0 डब्ल्यू0 –1, मुन्नीलाल पी0 डब्ल्यू0–2, बाबूलाल पी0 डब्ल्यू0–3 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी संवत् 2060/68 प्रदर्श–1 व 2, नकल जमाबन्दी संवत् 2062–65 प्रदर्श–3, 4, 5, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी संवत 2013 प्रदर्श–7, 10, नकल इंतकाल प्रदर्श–8, 9 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वादपत्र के जिम्मनो को दोहराते हुए वकील वादी का अभिकथन रहा कि ख0 नं0 57 वादीगण का 1/4 भाग व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 का 3/4 भाग है जो साबिक जमाबन्दी संवत् 2013 मे हो रहे अंकन से स्पष्ट साबित है परन्तु पक्षकारान के मध्य आपसी तकासमा पूर्व मे होकर ख0 नं0 49, 113, 114, 250, 252, 429, 433, 439, 467, 480, 481, 605, 669, 670, 671, 959, 960, 1022, 1023, 1074, 1075, 1230, 123 को शामिल कर किया गया था किन्तु सहवन से प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के हिस्से मे उक्त ख0 नं0 57 भी दर्ज हो गया इस लिए उक्त ख0 नं0 57/0.69 मे से 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी कदर ख0 नं0 49 रकबा 1.60 हैक0 मे से वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 7 को 0.80 एवं 0.80 हैक0 दोनों को दिया गया था जिसके नये 1304/49/0.80 एवं 1305/49/0.80 हैक0 के नये ख0 नं0 बनाये गये जिनमे से 1304/49 प्रतिवादीगण के हिस्से व 1305/49 मिनवादीगण के हिस्से आया था जिसके बाबत इंतकाल सं0 424 दिनांक 30.03.2005 को स्वीकार किया जा चुका है लेकिन जमाबन्दी मे अमल करते समय उक्त ख0 नं0 1305/49 भी प्रतिवादीगण के खाते मे दर्ज कर दिया गया। इसलिए ख0 नं0 1305/49/0.80 हैक0 का सम्पूर्ण का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार ख0 नं0 129/0.12, 476/0.24, 577/0.13, 822/0.22, 977/1.35 हैक0 प्रतिवादी सं0 3 व 4 के नाम एवं ख0 नं0 1084/0.78, 1189/0.65 हैक0 प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 7 के नाम गलत इंद्राज हो गया जबकि उपरोक्तानुसार प्रस्तुत साबिक रिकार्डानुसार मिनवादीगण के नाम 1/2 भाग दर्ज रिकार्ड हैं। वर्तमान मे ख0 नं0 977 मे से प्रतिवादी सं0 3 व 4 द्वारा रकबा 17 एयर का दिगर लोगो को बेचान कर दिया। दिगर व्यक्तियों से हम वादीगण कोई अनुतोष नही चाहते क्योकि विक्रय के बाद भी प्रतिवादी सं0 3 व 4 के नाम चाहे गये अनुतोष तक रकबा दर्ज है। ऐसी स्थिति मे उक्त ख0 नं0 977 मे से विक्रय किय गये रकबे 17 एयर को छोडकर उनके नाम शेष रकबे मे से 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं ख0 नं0 129, 476, 577, 822, 1084, 1189 मे से 1/2 भाग का मिनवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं ख0 नं0 977 पर से प्रतिवादी सं0 3 व 4 का नाम सालिम भाग से हजफ किया जावे तथा इसी कदर उपरोक्तानुसार प्रतिवादीगण के नाम को वादीगण के हिस्से तक कलमजन किया जावे तथा हाल राजस्व रिकार्ड मे उपरोक्तानुसार अमल दरामद

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

किया जावे एवं प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जावे कि वे हो रहे उनके नाम के अंकन के आधार पर विवादित आराजीयात को रहन, बैय आदि प्रकार से मुन्तकिल ना करे, ना ही वादीगण के काश्त कार्य मे किसी भी प्रकार की मजाहमत ही पैदा करे का निवेदन रहा।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया जिसके मुताबिक वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2013 प्रदर्श– 7 व 13 नत्थु, प्रभू पि0 सदासुख समभाग का अंकन है ठीक इसी प्रकार नकल जमाबन्दी संवत् 2018 मे केवल प्रभू पुत्र सदासुख अहीर साकिन देह मालिक का अंकन दर्ज रिकार्ड है साथ ही वादीगण के वादपत्र के समर्थन मे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 एवं प्रतिवादी सं0 59, 60 द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाबदावा से भी वादीगण के वाद की पुष्टि होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे वाद वादीगण डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी ख0 नं0 1305/49 रकबा 0.80 हैक्0 सालिम, 57 रकबा 0.79 के 1/4 भाग का, खसरा नंबर 129/0.12, 476/0.24, 577/0.13, 822/0.22, 1084/0.78, 1189/0.65 हैक्0 मे से 1/2 भाग का, एवं ख0 नं0 977/1.35 मे से प्रतिवादी सं0 3 व 4 द्वारा किये गये विक्रय रकबा 17 एयर को छोड कर शेष रकबे मे से 1/2 भाग वाके ग्राम सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्तानुसार वादीगण के हिस्से आराजी तक प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

11/1/19
(साधूराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

20/5/19 आज प्रार्थनापत्र धारा 152 भू० रा० अधि० पेश होकर कार्यवाही स्वीकार होने पर आ० ख० नं० 822 के रकबे 0.22 हैक्टर को रकबा 0.12 हैक्टर एवं आ० ख० नं० 57 रकबा 0.79 हैक्टर के बजाय रकबा 0.69 हैक्टर पढा जावे। शेष निर्णय यथावत रहेगा।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

मूल वाद मे (अंतिम) पर्चा डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— साधूराम जाट (R.A.S.)

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
190/10	15.11.2010	11.01.2019

1 गंगाराम
2 गोरधन पुत्रान नत्थु जातियान अहीर निवासीयान सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.
वादीगण

बनाम

1 शेरसिंह पुत्र प्रभू —मृतक
1/1 गिन्दोडी देवी बेवा शेरसिंह
1/2 पन्नालाल पुत्र शेरसिंह
1/3 विरेन्द्र सिंह पुत्र शेरसिंह जातियान अहीर निवासीयान सिहाली खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज.
1/4 राधादेवी
1/5 लीलम देवी पुत्रीयान शेरसिंह जातियान अहीर निवासीयान सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर हाल माजरा तह0 तिजारा जिला अलवर राज.
1/6 सुनीता बेवा नवलसिंह पुत्रवधु शेरसिंह जातियान अहीर निवासीयान सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.
1/7 मुकेश पुत्र नवलसिंह पौत्र शेरसिंह जातियान अहीर निवासीयान सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.
1/8 संदीप कुमार पुत्र नवलसिंह पौत्र शेरसिंह जातियान अहीर निवासीयान सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.
2 विक्रम पुत्र रामजीलाल
3 निहालसिंह
4 शीशराम पुत्रान बलबीर
5 नरेश कुमार
6 सुरेश कुमार
7 बिल्लुराम पुत्रान हीरालाल
8 रोहताश पुत्र बोदन
9 इन्द्रप्रताप
10 सत्येन्द्र पुत्रान करतार
11 ज्योति
12 अमृता
13 पूनम पुत्रीयान करतार

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

14 चमेली बेवा करतार
15 दयानन्द
16 वीरसिंह
17 जसरथ पुत्रान जित्या
18 शेरसिंह
19 सुबेसिंह पुत्रान झूंथाराम
20 जयनारायण
21 प्यारेलाल
22 गौरीसहाय पुत्रान मूलीया उर्फ मूला
23 घासीराम पुत्रान श्योदान
24 बाबूलाल
25 राजबीर
26 करणसिंह
27 रामपाल पुत्रान प्रसादा
28 शीशराम
29 भीमसिंह पुत्रान धनीराम
30 अमीलाल पुत्र जहारिया
31 शिवराम पुत्र गणपत
32 सांवल
33 राधेश्याम
34 विकम
35 बलवन्त
36 सुबेसिंह
37 किशनलाल
38 सत्यवान पुत्रान भोलू उर्फ धोला
39 रामनिवास पुत्र सुलतान
40 बलराज
41 नरेश पुत्रान धर्मपाल
42 लालाराम पुत्र मूला उर्फ मूलिया
43 रणधीर पुत्र हरिसिंह
44 पारथ
45 बाबूलाल
46 श्यामलाल
47 सुरेन्द्र
48 धनश्याम पुत्रान सांवल
49 अभयसिंह पुत्र श्योदान
50 दौला पुत्र सोनिया
51 हरचन्द
52 राजेन्द्र
53 लीलूराम पुत्रान भौरिया जातियान अहीर निवासीयान सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

54 पवित्रा पत्नी बाबूलाल

55 सविता पत्नी ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.

56 देवकरण पुत्र भोलाराम जाति चमार निवासी सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.

57 संतोष पत्नी भीमराज जाति जांगिड निवासी ब्रह्मपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज.

58 बहादुर पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी सिहालीखुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.

59 कृष्णा देवी पत्नी बाबूलाल

60 विक्रमसिंह पुत्र सांवलराम उर्फ सांवतराम जातियान अहीर निवासीयान सिहालीखुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.

61 राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर राज.

62 प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा अजरका तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.

63 प्रबन्धक स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मुण्डावर जिला अलवर राज.

प्रतिवादीगण

दावा —ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती
इन्द्राज वो हु0 ई0 दवामी

—: पर्चा डिक्री :—

वादीगण की ओर से श्री सतीश कुमार यादव प्रथम एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 11.01.2019 को साधूराम जाट,उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिये जाते है और डिकी की जाती है कि

हाल आराजी ख0 नं0 1305/49 रकबा 0.80 हैक्0 सालिम, 57 रकबा 0.79 के 1/4 भाग का, खसरा नंबर 129/0.12, 476/0.24, 577/0.13, 822/0.22, 1084/0.78, 1189/0.65 हैक्0 मे से 1/2 भाग का, एवं ख0 नं0 977/1.35 मे से प्रतिवादी सं0 3 व 4 द्वारा किये गये विकय रकबा 17 एयर को छोड कर शेष रकबे मे से 1/2 भाग वाके ग्राम सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्तानुसार वादीगण के हिस्से आराजी तक प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह अन्तिम पर्चा डिकी आज दिनांक 11.01.2019 को लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

11/1/19

(साधूराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

20/5/19 आज प्रकरण प्रार्थना पत्र 152 [illegible] सुनवाई [illegible] पर ख० नं० 822 के रकबा 0.22 हैक्टर के स्थान पर रकबा 0.12 हैक्टर एवं ख० नं० 57 रकबा 0.79 हैक्टर के स्थान पर रकबा 0.69 हैक्टर पढा जावे शेष डिक्री पूर्ववतः यथावत रहेगी।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner